

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237036
SG-DL-E-04072022-237036

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2022/आषाढ़ 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 163
No. 346]	DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2022/ASHADHA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 163

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग: प्रशासनिक शाखा

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जून, 2022

सं. फा. 4(431)/प्रशा0/आरआर/प्रवर्तन संवर्ग/टीपीटी/2012/58421.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27(59)—एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 3 मार्च, 1989 की अधिसूचना सं. फा. 3(1)/87/प्रशा./परि./4003-4008 के अनुसार अधिसूचित सहायक उप निरीक्षक के भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक उप निरीक्षक के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—(1) इन नियमों को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में (सहायक उप निरीक्षक) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—पदों की संख्या, इन का वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर के साथ संबंध इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :— पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—कोई भी व्यक्ति
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या
- (ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,
- वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :
- उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।
5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :—जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :—इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक उप निरीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	77 (2022)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	वेतन स्तर	:	स्तर— 2 19,900—63,200 /—रुपये
5.	क्या चयन पद है / गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	21 से 27 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के मामले में षिथिलनीय टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य : 1). किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता। 2). वैध भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले। शारीरिक मानदंड लम्बाई : 170 सेंटीमीटर (पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी के लिए 5 सेंटीमीटर तक छूट

		छाती : 81 सेंटीमीटर (सामान्य) से 85 सेंटीमीटर (फुलाने के बाद) अच्छा स्वास्थ्य, दोष / विकृति / रोग से मुक्त दृष्टि : 6/6 बिना चष्म के दोनों आंखें, रंगअंधता से मुक्त ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: 02 वर्ष सीधी भर्ती वालों के लिए टीप : कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण अथवा परीवीक्षा पूर्ण करने के लिए संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित पहले से आवश्यक ।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनस पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	: पदोन्नति : ग्रेड में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, (18000— 56900/—रुपये) में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित परिवहन विभाग में प्रवर्तन स्टाफ के प्रधान सिपाही में से । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : (क) दिल्ली पुलिस/सी.आर.पी.एफ./आई.टी.बी.पी./सा.आई.एस.एफ. एवं समस्त अर्द्ध सैनिक सेवाओं से कर्मचारी (अलिपिकीय) ; (i) स्तर-2 (19900 —63200/—रुपये) में कार्यरत; अथवा (ii) स्तर-1 (18000—56900/—रुपये) में तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा (ख) कॉलम 7 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखने वाले (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी ।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	: समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति /स्थाई करण समिति 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशासनिक सुधार)— अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप सचिव (सा0प्रा0वि0)—सदस्य टीप —विभागीय पदोन्नति/स्थाई करण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति/स्थाई करण समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति/स्थाई करण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं।
-----	--	---	------------

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विनोद कुमार यादव, उपायुक्त (प्रशा०), परिवहन विभाग

TRANSPORT DEPARTMENT: ADMINISTRATION BRANCH

NOTIFICATION

Delhi, the 28th June, 2022

No. F. 4(431)/Admn/RR/Enf.Cadre/TPT/2012/58421.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27(59)-Him(I), dated 13th July, 1959 and in supersession of the **Assistant Sub-Inspector** Recruitment Rules notified vide notification No. F.3(1)/87/-Admn/Tpt/4003-4008 dated 3rd March, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following recruitment rules for the post of Assistant Sub-Inspector in Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely—

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi (Assistant Sub-Inspector), Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix – The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification – No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- Serviceman and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	(Name of the Post)	“Assistant Sub-Inspector”
2.	(No. of posts)	77* (2022) *subject to variation dependent on workload
3.	(Classification)	General Central Service Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group-C
4.	(Level in the pay matrix)	Level-2 Rs. 19900-63200/-
5.	(Whether Selection or Non- Selection Post)	NonSelection
6.	(Age limit for Direct Recruits)	Between 21 to 27 Years. (Relaxable in case of government servants as per instructions/ orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Delhi Subordinate Services Selection Board/ Competent Authority.
7.	(Educational and other qualification required for Direct Recruits)	Essential: 1. 12 th pass or equivalent qualification from a recognized Board or Institution. 2. Should possess a valid driving license for Heavy Motor Vehicles. Physical Standards Height: 170cms (Relaxable by 5 cms for resident of hill areas). Chest: 81cm (normal) to 85 cm (after expanding). Sound health, free from defect/deformity/ disease. Vision 6/6 without glasses both eyes, free from colour blindness.
8.	(Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees)	Not Applicable
9.	(Period of Probation, if any)	02 Years for direct recruits. Note:- Successful completion of mandatory Induction Training of at least 2 weeks duration or as prescribed by the Cadre Authority shall be a pre-requisite for completion of probation.
10.	(Method of recruitment whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods)	By promotion failing which Deputation (including short term contract) failing both by direct recruitment.
11.	(In case of recruitment by promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made)	Promotion: Amongst Head Constable of Enforcement staff in Transport Department, GNCTD with 3 years regular service in Pay Level-1 (Rs. 18000-56900) of Pay matrix as per 7 th CPC rendered in the grade. Deputation(Including Short term contract): (a) Officials (Non-ministerial) from Delhi Police/CRPF/ITBP/CISF and all Para Military Services;

		(i) Working in L-2 (Rs. 19900-63200); Or (ii) With three years' regular service in L-1(Rs. 18000-56900) and (b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits in column-7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years. Period of deputation including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)
12.	(If a DPC exists, What is its composition)	Group 'C' Departmental Promotion/ Confirmation Committee/ 1. Pr. Secretary/ Secretary (AR) -Chairman 2. Head of the Deptt. Concerned -Member 3. Dy. Secretary (GAD) -Member Note:- Senior most member of the Departmental Promotion/Confirmation Committee shall act as a chairman in case the notified chairman of the Departmental Promotion/Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion/Confirmation Committee.
13.	(Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments)	Not Applicable

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
VINOD KUMAR YADAV, Dy. Commissioner (Admn.), Transport Department